भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1874

जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है

विधि प्रतिवेदनों का प्रकाशन

1874 # डा. किरोड़ी लाल मीणाः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय नियमित रूप से विधि प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित न्यायालयों में उन न्यायालयों का ब्यौरा क्या है जो नियमित रूप से विधि प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं कर रहे हैं और सरकार द्वारा इन प्रतिवेदनों का नियमित प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकार विधि प्रतिवेदनों के लिए निजी क्षेत्र के प्रकाशकों की सेवाएँ लेने का विचार रखती है और, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : लॉ रिपोर्टों का प्रकाशन एक ऐसा मामला है जो न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है । उच्चतम न्यायालय के वर्णनीय विनिश्चय, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस (एससीआर) में प्रकाशित किए जाते है । एससीआर उच्चतम न्यायालय के वर्णनीय विनिश्चयों का एक शासकीय जर्नल है, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित किया जाता है । उच्च न्यायालयों के संबंध में, प्राप्त सूचना के अनुसार, कुछ उच्च न्यायालय जैसे कि सिक्किम, पंजाब और हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य

प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और इलाहाबाद लॉ रिपोर्टों का प्रकाशन कर रहे है जबकि कतिपय उच्च न्यायालय जैसे कि मणिपुर, मेघालय, पटना, गुवाहाटी, झारखंड, त्रिरुपुरा, तेलंगाना और बोम्बे किसी लॉ रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं कर रहे है । लॉ रिपोर्टिंग परिषद दिल्ली उच्च न्यायालय की तारीख 21.04.2015 की सिफारिश के अनुसरण में लॉ रिपोर्ट (दिल्ली श्रंखला) के प्रकाशन को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बंद कर दिया गया है, चूंकि इस न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों के साथ-साथ रिपोर्ट न किए जाने योग्य निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय की शासकीय वेबसाइट पर पहले से प्रकाशित कर दिए जाते हैं ।

****